प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
लखीमपुर–खीरी।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रधानाचार्य
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त /स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/
अशासकीय सहायता प्राप्त (मा०) वित्तविहीन हाईस्कूल/इण्टर/
महाविद्यालय/नर्सिंग/पालिटेक्निक/
आर्युवेदिक/आई.टी.आई. एवं साइंस कालेज,
लखीमपुर–खीरी

पत्रांक– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला/3992-95 /2023–24 दिनांक- 07-08-2023

विषय– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वर्ष– 2023–24 आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर–खीरी के पत्रांक–सी–845/ मु०वि०अ०/ मु०क०सु०यो०–बैठक/2023–24 दिनांक–28.07.2023 एवं मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर–खीरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक–01.08.2023 का कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मा० मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों में से एक योजना है, योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना है।

मुख्यमंत्री कन्या योजना के पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे कुल आवेदनकर्ताओं के फार्म मण्डल में जनपद का सबसे कम हैं जबकि शासन/निदेशालय द्वारा प्रतिमाह समस्त छः श्रेणियों के 1000 आवेदन कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर–खीरी के पत्र दिनांक–20.06.2023 के द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया है, परन्तु खेद है कि निर्धारित लक्ष्य के बावजूद दिनांक–26.07.2023 तक मात्र 3368 आवेदन जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन में प्राप्त हुएं है जो निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति नहीं है।

पंचम व षष्टम श्रेणी– कक्षा–9 तथा 10/12 पास कर न्यूनतम दो वर्षीय डिप्लोमा तथा स्नातक प्रथम में वर्ष 2023–24 में प्रवेशित बालिकाओं का आवेदन कराया जाय। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया गया है कि पंचम श्रेणी अर्थात कक्षा–9 के पात्र सम्भावित 3886 बालिकाओं की सूची नियोजन विभाग की बेवसाइट से प्राप्त कराया गया है समस्त पात्र छात्राओं का आवेदन कराया जाये तथा समस्त विद्यालयों में कक्षा–6 व 9 में पढ़ने वाली छात्राओं की कक्षाध्यापिकाओं को नोडल नामित कर समस्त पात्र छात्राओं का आवेदन शत प्रतिशत कराया जायें।

उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी संस्था में कक्षा–6, 9 तथा 10/12 पास कर न्यूनतम दो वर्षीय डिप्लोमा तथा स्नातक प्रथम में वर्ष 2023–24 में प्रवेशित पात्र बालिकाओं का आवेदन कराया जाय तथा समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–6 व 9 में पढ़ने वाली छात्राओं की कक्षाध्यापकों/कक्षाध्यापिकाओं को नोडल नामित कर समस्त पात्र छात्राओं का आवेदन शत प्रतिशत आवेदन कराना सुनिश्चित करें क्योंकि उक्त योजना मा० मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों में से एक योजना है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला विद्यालय निरीक्षक
लखीमपुर–खीरी।

पृ०सं०–मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला / /2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1.जिलाधिकारी महोदय,लखीमपुर–खीरी को सादर अवलोकनार्थ।
2.मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखीमपुर–खीरी।
3.जिला प्रोबेशन अधिकारी,लखीमपुर–खीरी।

जिला विद्यालय निरीक्षक
लखीमपुर–खीरी

2648

दिनांक 01.08.2023 को 11:00 बजे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में महोदय के कक्ष में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्ति

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए

1. मुख्य विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	–	सदस्य
3. जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रतिनिधि)	–	सदस्य
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी	–	सदस्य
6. जिला प्रोबेशन अधिकारी	–	सदस्य सचिव

दिनांक 01.08.2023 को आयोजित की गयी बैठक में उपरोक्तनुसार अध्यक्ष/सदस्यगण सम्मिलित हुए है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार बैठक में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं अन्य योजनाओं का प्रस्तुतीकरण जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किया गया।

1.मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना – बैठक में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी समीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के मण्डल में समस्त छः श्रेणियों के कुल अब तक 3368 आवेदन लाभार्थियों द्वारा कराये गये हैं, जो जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित हो रहे हैं जबकि शासन/निदेशालय द्वारा जनपद का लक्ष्य 12 हजार निर्धारित किया गया है अर्थात एक हजार आवेदन प्रतिमाह किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जन्म व टीकाकरण, जिला कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी व कक्षा 1 व कक्षा 6 बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा कक्षा 9 व कक्षा 12 उत्तीर्ण स्नातक के प्रथम वर्ष हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को लक्ष्य आवंटित किया गया है।

प्रथम श्रेणी – समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि एक वर्ष के अन्दर जन्मी समस्त पात्र बालिकाओं का आवेदन आंगनवाणी कार्यकत्री के माध्यम से पांच–पांच आवेदन 15 अगस्त 2023 तक कराये जाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही जिला कार्यक्रम अधिकारी)**

द्वितीय श्रेणी – एक वर्ष का टीकाकरण पूर्ण की चुकी बालिकाओं का आवेदन कराये जाने हेतु जनपद के प्रत्येक आशा वर्कर को **पांच–पांच आवेदन 15 अगस्त 2023** तक कराये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। **(कार्यवाही मुख्य चिकत्सा अधिकारी)**

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी – ऐसी बालिकायें जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023–24 में कक्षा 1 व कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो, का शत प्रतिशत आवेदन भराये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया साथ ही जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी अर्थात कक्षा 6 के पात्र सम्भावित 8275 बालिकाओं की सूची नियोजन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन कराये जाने हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। **(कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)**

पंचम व षष्टम श्रेणी – कक्षा 9 तथा 10/12वीं पास कर न्यूनतम दो वर्षीय डिप्लोमा तथा स्नातक प्रथम में वर्ष 2023–24 में प्रवेशित बालिकाओं का आवेदन कराया जाय। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी अर्थात कक्षा 9 के पात्र सम्भावित 3886 बालिकाओं की सूची नियोजन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन कराये जाने हेतु उपलब्ध करा दी गयी है, के साथ समस्त पात्र छात्राओं का आवेदन कराया जाय तथा समस्त विद्यालयों में कक्षा 6 व 9 में पढ़ने वाली छात्राओं की कक्षाध्यापिका को नोडल नामित कर समस्त पात्र छात्राओं का आवेदन शत प्रतिशत कराया जाय। **(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक)**

2. **समेकित बाल संरक्षण योजना** – ब्लाक स्तर पर ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन नवीन शासनादेशानुसार द्वारा किया जाना है।

बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि ब्लाक/ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की नियमिति बैठकें ब्लाक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं ग्राम स्तर पर आंगनवाणी कार्यकत्री व शहरी क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक द्वारा की जायेगी। जिस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में एक पत्र तैयार कर अध्यक्ष को उपलब्ध करा दें ताकि ब्लाक की मासिक नियमित बैठक के एजेण्डे में उक्त बिन्दु सम्मिलित किया जा सके। **(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यकम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई)**

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला महिला चिकित्सालय में नवजात जन्मी पात्र बालिकाओं का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन कराये जाने हेतु महिला शक्ति केन्द्र में कार्यरत कार्मिकों की ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही जिला प्रोबेशन अधिकारी/महिला शक्ति केन्द्र)**

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

01.8.23

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर खीरी

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखीमपुर खीरी

पत्रांक 0872 /जि0प्रो0का0/मु0क0सु0यो0–बैठक/कार्यवृत्ति/2023–23 दिनांक 03/08/23

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी।
3. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
4. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को अनुपालनार्थ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी
लखीमपुर खीरी

2638

सी0वि0सं0 3504

DIOS 4.8.23 बैठक दिनांक 01.08.2023

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी

पत्रांक C-845 / मु0वि0अ0 / मु0क0सु0यो0–बैठक / 2023–24 दिनांक 28/07/23

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2. जिला विद्यालय निरीक्षक
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी

लखीमपुर खीरी

आप अवगत है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मा0 मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों में से एक योजना है, योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे कुल आवेदनकर्ताओं के फार्म मण्डल में जनपद का सबसे कम हैं जबकि शासन / निदेशालय द्वारा प्रतिमाह समस्त छः श्रेणियों के 1000 आवेदन कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या सी 558 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया है, परन्तु खेद है कि निर्धारित लक्ष्य के बावजूद दिनांक 26.07.2023 तक मात्र 3368 आवेदन जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन में प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति नहीं है।

अतः उक्त निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन कराये जाने हेतु दिनांक 01-08. 2023 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में पूर्वान्ह बजे एक बैठक आहूत की गयी है, कृपया उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर खीरी

DIOS
For DM
31.7.23

पत्रांक व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी।
3. उप निदेशक / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
4. जिला प्रोबेशन अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2176
2.8.23

28.7.23
मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर खीरी